**न्यायालय : अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।**

**पीठासीन अधिकारी : सुनिल कच्छावाह, आर.जे.एस.**

**मूल आपराधिक प्रकरण संख्या: 29/2026**

**सी.आई.एस नम्बर : 862/2015**

**सी.एन.आर. नम्बर : RJRS070015782015**

**राजस्थान राज्य**

**:: बनाम ::**

01. **उदयलाल** पिता तुलसीराम, उम्र 64 वर्ष, निवासी लालमादड़ी, थाना खमनौर जिला राजसमन्द।
02. **अर्जुनलाल** पिता उदयलाल, उम्र 35 वर्ष, निवासी लालमादड़ी, थाना खमनौर जिला राजसमन्द।
03. **श्रीमती देउबाई** पत्नी तुलसीराम, उम्र 91 वर्ष, निवासी निवासी लालमादड़ी, थाना खमनौर जिला राजसमन्द।

**अभियुक्तगण**

**अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406 सपठित धारा 120–बी भारतीय दण्ड संहिता, 1860**

**उपस्थिति :**

**01. विद्वान् सहायक अभियोजन अधिकारी,** राज्य की ओर से।

**02. श्री मदनलाल टांक**, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

## || निर्णय ||

**दिनाँक : 22.04.2026**

01. प्रकरण के संक्षिप्त में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादीया श्रीमती अल्का पी.ड. 01 द्वारा दिनाँक 037.08.2015 को न्यायालय अतिरिक्त मुख्य

न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा के समक्ष परिवाद प्रदर्श पी 02, अभियुक्तगण अर्जुनलाल, उदयलाल व श्रीमती देउबाई के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि राजस्व ग्राम करौली की ढ़ाणी में आराजी नंबर 1102/146, रकबा 02 बीघा व आराजी संख्या 1101/146, रकबा 01 बीघा की कृषि भूमि स्थित हैं। अभियुक्तगण ने उक्त कृषि भूमि उसे 1,84,000 रुपये में विक्रय करने का प्रस्ताव रखा एवं उसे विश्वास दिलाया कि यह जमीन उनकी हैं तथा किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय की हुई नहीं हैं। दिनाँक 05.08.2013 को परिवादीया द्वारा नकद 1,84,000/– रूपये अभियुक्तगण को अदा किये गये एवं अभियुक्तगण ने परिवादीया के पक्ष में पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित किया। उपरोक्त भूमि के पूर्वाधिकारी भैरूलाल व मांगीलाल द्वारा उक्त भूमि लोगर खटीक व भैरूलाल पिता देवा को विक्रय कर रखी थी, परन्तु उनका नामान्तरकरण दर्ज नहीं हुआ, जिसका अभियुक्तगण द्वारा फायदा उठाकर मिलीभगत से अपना नाम विरासत से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराकर छल पूर्वक 1,84,000/– रूपये परिवादीया से जमाबन्दी में उनका नाम दर्ज होने के आधार पर हड़प लिये, जबकि अभियुक्तगण को उक्त जमीन को उनके पूर्वाधिकारी द्वारा विक्रय किये जाने की पूर्ण जानकारी थी, उसके बावजूद भी गलत तथ्य बताकर विक्रय पत्र निष्पादन कर पंजीयन कराकर रूपये हड़प लिये। अभियुक्तगण का जमीन में कोई हक व अधिकार नहीं था। परिवादीया के पटवारी के पास विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाने हेतु जाने पर जालसाजी की जानकारी हुई। इत्यादि।

02. दिनाँक 13.08.2015 को न्यायालय द्वारा परिवाद को धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् पुलिस थाना नाथद्वारा में प्रेषित किया गया। जिस पर उक्त परिवाद के आधार पर **पुलिस थाना नाथद्वारा** में **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 364/2015,** अपराध अन्तर्गत **धारा 420, 406, 120–बी भारतीय दण्ड संहिता, 1860** में दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। प्रकरण में दिनाँक 15.12.2015 को थानाधिकारी नाथद्वारा की ओर से जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण **उदयलाल, अर्जुनलाल व देउबाई** के विरूद्ध आरोप पत्र अपराध अंतर्गत **धारा 420, 406, 120–बी भारतीय दण्ड संहिता, 1860** में प्रस्तुत किया गया, जिस पर बाद कार्यालय जाँच एवं अवलोकन कर अभियुक्तगण उदयलाल, अर्जुनलाल व देउबाई के

विरुद्ध उक्त न्यायालय द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 120–बी में प्रसंज्ञान लिया गया तथा प्रकरण को दाण्डिक मूल रजिस्टर में दर्ज किया गया।

03. दिनाँक 27.06.2016 को उक्त न्यायालय द्वारा बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण उदयलाल, अर्जुनलाल व देउबाई को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत् आरोप विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण उदयलाल, अर्जुनलाल व देउबाई द्वारा आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही गयी।

04. कालांतर में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, राजसमन्द के आदेश क्रमांक 18, दिनाँक 15.01.2026 की अनुपालना में पत्रावली अंतरित होकर विचारण हेतु इस न्यायालय में प्राप्त हुई। जिसका एतद्द्वारा बाद विचारण निस्तारण किया जा रहा हैं।

05. अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य अभियोजन में अग्रलिखित सूचीबद्ध मौखिक साक्ष्य में गवाहों को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेज के रूप में न्यायालय के समक्ष दस्तावेजात प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये।

**मौखिक साक्ष्य**

| क्र.स. | साक्षी क्रमांक | साक्षी का नाम | संबंधित विवरण |
|---|---|---|---|
| 1. | P.W. 1 | अल्का | परिवादीया |
| 2. | P.W. 2 | ओमप्रकाश | प्रत्यक्षदर्शी गवाह |
| 3. | P.W. 3 | भवानीलाल | वाकियाती शहादत |
| 4. | P.W. 4 | भैरूलाल | वाकियाती शहादत |
| 5. | P.W. 5 | शिवलाल | वाकियाती शहादत |
| 6. | P.W. 6 | तुलसीराम | वाकियाती शहादत |
| 7. | P.W. 7 | ख्यालीलाल | वाकियाती शहादत |
| 8. | P.W. 8 | राधेश्याम | वाकियाती शहादत |
| 9. | P.W. 9 | शिवलाल पिता खुबीलाल | वाकियाती शहादत |
| 10. | P.W. 10 | पूर्णाशंकर | पटवारी |
| 11. | P.W. 11 | हरिनारायण | अभियुक्तगण की फर्द |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | गिरफतारी |
| 12. | P.W. 12 | बाबूलाल | वाकियाती शहादत |
| 13. | P.W. 13 | रविन्द्रसिंह | अनुसंधान अधिकारी |
| 14. | P.W. 14 | किशनसिंह | अभियुक्तगण की फर्द गिरफ्तारी |
| 15. | P.W. 15 | हरिराम | वाकियाती शहादत |

**दस्तावेजी साक्ष्य**

| क्र. स. | दस्तावेज क्रमांक | दस्तावेज का नाम | संबधित गवाह |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रदर्शपी–01 | पुलिस बयान परिवादीया | अल्का पी.ड. 01 |
| 2. | प्रदर्शपी–02 | परिवाद | अल्का पी.ड. 01 |
| 3. | प्रदर्शपी–03 | विक्रय पत्र | अल्का पी.ड. 01, शिवलाल पी.ड. 09 |
| 4. | प्रदर्शपी–04 | पुलिस बयान भवानीलाल | भवानीलाल पी.ड. 03 |
| 5. | प्रदर्शपी–05 | रजिस्ट्री दिनाँक 20.02.2003 की सत्य प्रतिलिपि | भैरूलाल पी.ड. 04, तुलसीराम पी.ड. 06, ख्यालीलाल पी.ड. 07, शिवलाल पी.ड. 09 |
| 6. | प्रदर्शपी–06 | रजिस्ट्री दिनाँक 20.02.2003 की सत्य प्रतिलिपि | भैरूलाल पी.ड. 04, शिवलाल पी.ड. 09 |
| 7. | प्रदर्शपी–07 | रजिस्ट्री दिनाँक 20.02.2003 की सत्य प्रतिलिपि | भैरूलाल पी.ड. 04, शिवलाल पी.ड. 09 |
| 8. | प्रदर्शपी–08 | पुलिस बयान शिवलाल | शिवलाल पी.ड. 05 |
| 9. | प्रदर्शपी–09 | पुलिस बयान | तुलसीराम पी.ड. 06 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | तुलसीराम | |
| 10. | प्रदर्शपी–10 | पुलिस बयान ख्यालीलाल | ख्यालीलाल पी.ड. 07 |
| 11. | प्रदर्श पी 11 | पुलिस बयान राधेश्याम | राधेश्याम पी.ड. 08 |
| 12. | प्रदर्श पी 11 | राजस्व रिकार्ड के संबंध में दी गयी तहरीर | पूर्णाशंकर पी.ड. 10 |
| 13. | प्रदर्शपी–12 | नामांतरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रति | पूर्णाशंकर पी.ड. 10, बाबूलाल पी.ड. 12 |
| 14. | प्रदर्शपी–13 | राजस्व रिकार्ड के संबंध में दी गयी तहरीर | बाबूलाल पी.ड. 12 |
| 15. | प्रदर्शपी–14 | जमाबंदी की प्रमाणित प्रति | बाबूलाल पी.ड. 12 |
| 16. | प्रदर्शपी–15 | उदयलाल की फर्द गिरफतारी | हरिनारायण पी.ड. 11 |
| 17. | प्रदर्शपी–16 | अर्जुनलाल की फर्द गिरफतारी | हरिनारायण पी.ड. 11 |
| 18. | प्रदर्शपी–17 | देउबाई की फर्द गिरफतारी | हरिनारायण पी.ड. 11 |
| 19. | प्रदर्शपी–18 | चाक् एफआईआर | रविन्द्रसिंह पी.ड. 13 |
| 20. | प्रदर्शपी–19 | जमाबंदी की प्रति | रविन्द्रसिंह पी.ड. 13 |
| 21. | प्रदर्शपी–20 | राजस्व रिकार्ड के संबंध में उपपंजीयक को दी गयी तहरीर | रविन्द्रसिंह पी.ड. 13 |
| 22. | प्रदर्शपी–21 | राजस्व रिकार्ड के संबंध में उपपंजीयक को दी गयी तहरीर | रविन्द्रसिंह पी.ड. 13 |
| 23. | प्रदर्शपी–22 | मृत्यु प्रमाण पत्र लोगर की प्रतिलिपि | रविन्द्रसिंह पी.ड. 13 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24. | प्रदर्शपी–23 | मृत्यु प्रमाण पत्र मांगीलाल की प्रतिलिपि | रविन्द्रसिंह पी.ड. 13 |
| 25. | प्रदर्शपी–24 | मृत्यु प्रमाण पत्र भैरा | रविन्द्रसिंह पी.ड. 13 |
| 26. | प्रदर्शपी–25 | ग्राम पंचायत का पत्र | रविन्द्रसिंह पी.ड. 13 |
| 27. | प्रदर्शपी–26 | धारा 91 के नोटिस की प्रति | रविन्द्रसिंह पी.ड. 13 |

06. प्रकरण में साक्ष्य अभियोजन के दौरान् सहवन से पुलिस बयान राधेश्याम व राजस्व रिकार्ड के संबंध में दी गयी तहरीर पर सांख्यिकी दृष्टि से एक ही प्रदर्श पी 11 अंकित कर दिया गया। न्यायालय विवेचन के दौरान् उक्त दस्तोवजो की विशिष्टियों के साथ उल्लेख किया जायेगा।

07. अभियोजन साक्ष्य के पश्चात् अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किया गया। अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए कथन किये कि वो निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। उनके द्वारा कोई लेनदेन नहीं किया गया। अभियुक्तगण द्वारा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहा गया, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा का अवसर बंद किया गया।

08. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गयी। बहस के दौरान् सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा षड़यन्त्र पूर्वक परिवाद प्रदर्श पी 02 में वर्णित आराजीयात् की भूमि उनके पूर्वाधिकारी द्वारा अन्य व्यक्तियों को विक्रय किये जाने के बावजूद भी राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण दर्ज नहीं होने का फायदा उठाकर अभियुक्तगण द्वारा विरासत से अपना राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया गया एंव उसके आधार पर विवादग्रस्त भूमि को छल पूर्वक परिवादीया को विक्रय की गयी एवं प्रतिफल राशि रूपये 1,84,000/– प्राप्त कर लिये। जबकि अभियुक्तगण को जानकारी थी कि विवादग्रस्त भूमि पूर्व में ही उनके पूर्वाधिकारी द्वारा विक्रय की जा चुकी थी। अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान् द्वारा अभियोजन का समर्थन किया गया हैं, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध पूर्णतया प्रमाणित हैं। इसलिये अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

09. इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा बहस के दौरान तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गए गवाहान् के बयानों से अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं होती है। अभियोजन गवाहान् के बयानों में भारी विरोधाभास हैं। स्वयं परिवादीया अल्का पी.ड. 01 की साक्ष्य से समस्त संव्यवहार पदमसिंह द्वारा किया गया, अभियुक्तगण द्वारा किसी प्रकार का संव्यवहार नहीं किया गया। अभियुक्तगण ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं, पदमसिंह द्वारा ही अभियुक्तगण के हस्ताक्षर करवाये गये। अभियुक्तगण को प्रकरण में गलत रूप से संलिप्त किया गया हैं। इसलिये अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

10. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रकरण के सुविधापूर्वक एवं न्यायपूर्ण विनिश्चय हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिंदु हैः—

**अ.— क्या अभियुक्तगण द्वारा षड़यन्त्रपूर्वक ग्राम करोली की ढ़ाणी की आराजी संख्या 1101/146 व 1102/146 की भूमि उनके पूर्वाधिकारी द्वारा विक्रय किये जाने की जानकारी होने के बावजूद छल करने के आशय से राजस्व रिकार्ड में स्वयं का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाकर विवादग्रस्त जमीन परिवादीया को विक्रय कर दी गयी एवं प्रतिफल राशि रूपये 1,84,000/— रूपये प्राप्त कर स्वयं को सदोष अभिलाभ एंव परिवादीया को सदोष हानि कारित की गयी तथा अभियुक्तगण द्वारा विक्रय प्रतिफल राशि रूपये 1,84,000/— रूपये परिवादीया को नहीं लौटाकर आपराधिक न्यायभंग किया गया?**

**ब.— यदि उपर्युक्त विचारणीय बिंदु प्रमाणित होता है तो उचित दण्ड क्या होगा?**

11. पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का विवेचन किया जाने से पूर्व संबंधित विधिक प्रावधान का अध्ययन किया जाना आवश्यक हैं। प्रकरण में अभियुक्तगण पर धारा 420 व 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का आरोप है। इसलिये सर्वप्रथम धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आवश्यक संघटक के बारे में अवलोकन किया जाना आवश्यक है। **धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के आवश्यक घटक निम्न है :—**

(1). किसी व्यक्ति के साथ छल किया गया हो ;

(2). जिस व्यक्ति के साथ छल किया गया हो उसे बेईमानी से उत्प्रेरित किया गया हो कि :–

**(क).** वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या ;

**(ख).** किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज को, हस्ताक्षरित या मुन्द्राकिंत है और मूल्यवान प्रतिभूति में सम्परिवर्तित किये जाने योग्य है पूर्णतया या अशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे।

**छल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 415 में परिभाषित किया गया है जिसके आवश्यक तत्व निम्न है :–**

(1). किसी व्यक्ति से प्रवंचना की गई हो ;

(2). इस प्रकार प्रवंचित व्यक्ति को कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित किया गया हो कि :–

(क). वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या;

(ख). यह सम्मति दे कि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को रख रखे या साआशय उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे, या करने का लोप करे जिसे वह यदि उसे इस प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो, ना करता, या करने का लोप ना करता और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी, साम्पत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है या कारित होनी संभाव्य है।

**धारा 24 व 25 भारतीय दण्ड संहिता में क्रमशः बेईमानी व कपटपूर्वक को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार**

**धारा 24 "बेईमानी से"** – जो कोई इस आशय से काई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे वह उस कार्य को "बेईमानी" से करता है यह कहा जाता है।

**धारा 25 "कपटपूर्वक"** – कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक

करता है, यह कहा जाता है, यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, किंतु अन्यथा नहीं।

12. इसी प्रकार आपराधिक न्यास भंग जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 405 में परिभाषित हैं, के सम्बन्ध में यह स्पष्ट विधि हैं कि इस धारा के तहत् सम्पत्ति या सम्पत्ति पर कोई अख्त्यार अपराधी को न्यस्त किया होना चाहिए तथा अपराधी द्वारा या तो बेईमानी से उस सम्पत्ति का दुविर्नियोग कर लिया जाना चाहिए या बेईमानी उसे से उसके उपयोग में संपरिवर्तित कर लेना चाहिए या किसी न्यास निर्वहन के सम्बन्ध में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्ति या विवक्षित संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस सम्पत्ति का उपयोग या व्ययन किया जाना चाहिए, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करना सहन करना चाहिए।

13. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **2024 1 Supreme 759, Mariam Fasihuddin & Anr. Vs State by Abugodi Police Station & Anr.** के न्यायिक विनिर्णय में धोखाधड़ी के अपराध के सम्बन्ध में पद संख्या 11 व 12 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि :– **11.** It is thus paramount that in order to attract the provisions of Section 420 IPC, the prosecution has to not only prove that the accused has cheated someone but also that by doing so, he has dishonestly induced the person who is cheated to deliver property. There are, thus, three components of this offence, i.e., (i) the deception of any person, (ii) fraudulently or dishonestly inducing that person to deliver any property to any person, and (iii) mens rea or dishonest intention of the accused at the time of making the inducement. There is no gainsaid that for the offence of cheating, fraudulent and dishonest intention must exist from the inception when the promise or representation was made.

**12.** It is well known that every deceitful act is not unlawful, just as not every unlawful act is deceitful. Some acts may be termed both as unlawful as well as deceitful, and such acts alone will fall within the purview of Section 420 IPC. It must also be understood that a statement of fact is deemed ‘deceitful’ when it is false, and is knowingly or recklessly made with the intentthat it shall be acted upon by another person, resulting in damage or loss. ‘Cheating’ therefore, generally

involves a preceding deceitful act that dishonestly induces a person to deliver any property or any part of a valuable security, prompting the induced person to undertake the said act, which they would not have done but for the inducement.

14. इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक विनिर्णय **2025 Live Law (SC) 950, Arshad Neyaz Khan Vs State of Jharkhand & Another** में अपराध अंतर्गत धारा 420 व 406 भारतीय दण्ड संहिता के सम्बन्ध में पद संख्या 21 में यह अभिनिर्धारित किया गया हैं कि :–

21. Furthermore, it is pertinent to mention that if it is the case of the complainant that the offence of criminal breach of trust as defined under Section 405 IPC, punishable under Section 406 IPC, is committed by the accused, then in the same breath it cannot be said that the accused has also committed the offence of cheating as defined in Section 415, punishable under Section 420 IPC. This Court in Delhi Race Club (1940) Limited vs. State of Uttar Pradesh, (2024) 10 SCC 690 observed that there is a distinction between criminal breach of trust and cheating. For cheating, criminal intention is necessary at the time of making false or misleading representation i.e. since inception. In criminal breach of trust, mere proof of entrustment is sufficient. Thus, in case of criminal breach of trust, the offender is lawfully entrusted with the property, and he dishonestly misappropriates the same. Whereas, in case of cheating, the offender fraudulently or dishonestly induces a person by deceiving him to deliver a property. In such a situation, both offences cannot co-exist simultaneously. Consequently, the complaint cannot contain both the offences that are independent and distinct. The said offences cannot co-exist simultaneously in the same set of facts as they are antithetical to each other.

15. माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त न्यायिक विनिर्णय के अनुसार अपराध अंतर्गत धारा 420 व 406 भारतीय दण्ड संहिता के एक ही समय पर नहीं हो सकते हैं क्योंकि धारा 420 के अपराध के लिये प्रारम्भ से ही आपराधिक आशय होना आवश्यक हैं, जबकि धारा 406 के तहत् सम्पत्ति

अपराधी के आधिपत्य में विधिपूर्ण होती हैं, जिसका पश्चातवर्ती प्रक्रम पर आपराधिक आशय से उसका दुर्विनियोग कर लिया जाता हैं।

16. उपरोक्त विधिक प्रावधान व न्यायिक विनिर्णय के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलबध साक्ष्य का विवेचन किया जाये तो प्रकरण में अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित करने के लिए कुल 15 गवाहान् को परीक्षित करवाया गया। प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण गवाह परिवादीया **श्रीमती अल्का पी.डब्ल्यू 01** हैं, जिसके द्वारा परिवाद प्रदर्श पी 02 इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि राजस्व ग्राम करोली की ढ़ाणी की, आराजी संख्या 1101/146 रकबा 02 बीघा व आराजी संख्या 1102/146 रकबा 01 बीघा कुल 03 बीघा भूमि को अभियुक्तगण अर्जुनलाल, उदयलाल व देउबाई द्वारा दिनाँक 30.07.2013 को उसे विक्रय कर प्रतिफल राशि 1,84,000/– रुपये नकद प्राप्त कर लिये, जबकि उक्त भूमि अभियुक्तगण के पूर्वाधिकारी भैरूलाल व मांगीलाल द्वारा लोगर व भैरूलाल पिता देवा को विक्रय की जा चुकी थी। अभियुक्तगण द्वारा राजस्व रिकार्ड में उनका नाम दर्ज नहीं होने का फायदा उठाकर स्वयं का नाम दर्ज करवाकर परिवादीया को भूमि विक्रय कर दी एवं रूपये 1,84,000/– रूपये हड़प कर लिये, जबकि अभियुक्तगण को उनके पूर्वाधिकारी द्वारा भूमि विक्रय करने की जानकारी थी।

17. साक्ष्य अभियोजन में **परिवादीया अल्का पी.ड. 01** द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान कथन किया गया कि पदमसिंह उसके पति के दोस्त हैं, जिस जमीन की उसने रजिस्ट्री करावाई वो जमीन उसके नाम से पदमसिंह ने खरीदी और पदमसिंह के कहने से उसके नाम रजिस्ट्री करवायी। **जमीन उनके पूर्वाधिकारियों के नाम पर थी, जिसका पदमसिंह ने नामान्तरण खुलवाकर इन लोगों के नाम कराई** और पदमसिंह ने करोली पंचायत में नामान्तरण की कार्यवाही बेचने वाले से करवायी। **बेचने वालों को यह मालूम नहीं था पदमसिंह ने बताया था कि तुम्हारी जमीन हैं।** जो जमीन उसके नाम से खरीदी, उसका कब्जा पदमसिंह का हो तो वह नहीं बता सकती। **सारी कार्यवाही पदमसिंह ने की थी।** जमीन का कब्जा हमारे पास ही हैं। **सारा लेन देन पदमसिंह ने किया था, वह मौके पर कभी नहीं गयी।** पदमसिंह ने ही मुल्जिमानों को पैसे दिये थे, उसने नहीं दिए। इस प्रकार परिवादीया की

साक्ष्य से प्रकट होता हैं कि मूल रूप से परिवाद प्रदर्श पी 02 में वर्णित सम्पूर्ण संव्यवहार पदमसिंह ने किया था, परिवादीया द्वारा ना तो प्रतिफल राशि अदा की गयी एवं ना ही परिवादीया को संव्यवहार की पूर्ण जानकारी हैं। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पदमसिंह को न्यायालय में परीक्षित नहीं करवाया गया।

18. इसी प्रकार साक्ष्य अभियोजन में अन्य गवाह **ओमप्रकाश पी.डब्ल्यू 02** द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान कथन किया कि **नामांतरण की कार्यवाही पदमसिंह ने की। पदमसिंह और वह साथ साथ व्यवसाय करते हैं। नोट कितने कितने रुपये के थे उसे पता नहीं था। पदमसिंह उसके दोस्त थे, उन्होनें दिये थे, उसे पता नहीं।** उक्त गवाह की साक्ष्य से भी प्रकट होता हैं कि प्रकरण में सम्पूर्ण संव्यवहार पदमसिंह ने किया था।

19. साक्ष्य अभियोजन के दौरान गवाह **भवानीलाल पी.डब्ल्यू 03** द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान विवादग्रस्त आराजीयात् की भूमि उसके पिता लोगर व चाचा भैरूलाल द्वारा क्रय किये जाने के कथन किये गये। किसने किसको रजिस्ट्री करवायी, उसकी जानकारी नहीं हैं। उसने पुलिस बयान में अभियुक्तगण उदयलाल, अर्जूनलाल व देउबाई के नाम नहीं लिखवाये, उनके साथ किसी ने धोखा नहीं किया।

20. साक्ष्य अभियोजन में गवाह **भैरूलाल पी.डब्ल्यू 04** द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान स्वयं व लोगर द्वारा द्वारा लाल मादड़ी रेबारियों की ढाणी में 15 वर्ष पूर्व जमीन खरीदने के कथन किए। इसके अतिरिक्त यह कथन किया गया कि जमीन को पटवारी ने खाते नहीं किया यही लोचा हैं और कोई लोचा नहीं हैं। वह पदमसिंह को जानता हैं। मांगीलाल और भैरूलाल का नाम खाते में रह जाने से पदमसिंह ने इनके वारिसान् के नाम लिखवाये, उसके साथ किसी ने धोखा नहीं किया।

21. साक्ष्य अभियोजन के दौरान गवाह **शिवलाल पी.डब्ल्यू 05** द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार के संव्यवहार की जानकारी होने से इंकार किया गया।

22. साक्ष्य अभियोजन में गवाह **तुलसीराम पी.डब्ल्यू 06** द्वारा कथन किया कि वह मांगीलाल को जानता है। मांगीलाल की जमीन कहॉ हैं एवं जमीन किसको विक्रय की, इसके संबंध में जानकारी होने से एवं विक्रय पत्र प्रदर्श पी 05 की लिखा पढ़ी पर अंगूठा लगाने से इंकार किया गया।

23. साक्ष्य अभियोजन में गवाह **ख्यालीलाल पी.डब्ल्यू 07** द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान यह कथन किया कि मांगीलाल द्वारा दिनाँक 20.02.2003 को आराजी संख्या 1101 / 146 की भूमि का विक्रय पत्र प्रदर्श पी 05 निष्पादित करवाया था। इसके अतिरिक्त जमीन के संबंध में क्या विवाद हैं, इसकी जानकारी होने से इंकार किया गया।

24. साक्ष्य अभियोजन में गवाह **राधेश्याम पी.डब्ल्यू 08** द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान उदयलाल को जानने एवं उसके सौद में गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए जाने के कथन किए गए। इसके अलावा जमीन कहां पर स्थित है, किस व्यक्ति से सौदा किया, इसकी जानकारी से इंकार किया।

25. साक्ष्य अभियोजन में गवाह **शिवलाल पी.डब्ल्यू 09** द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान यह कथन किया गया कि दिनाँक 20.02.2003 को मांगीलाल नाम के व्यक्ति को 04 स्टाम्प प्रदर्श पी 03, 05 से 07 विक्रय किए जाने एवं दस्तावेज में लिखा पढ़ी उसके सामने नहीं होने से जानकारी होने से इंकार किया गया।

26. साक्ष्य अभियोजन में गवाह **पूर्णाशंकर पी.डब्ल्यू 10** द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान मुख्य परीक्षा में विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की नकल जारी किए जाने एवं विक्रय पत्र प्रदर्श पी 03 के आधार पर अल्का देवी व ओमप्रकाश माली के नाम पर नामांतरण खोले जाने के कथन किए गए। प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि प्रदर्श पी 12 के कॉलम संख्या 07 में अंकित नाम व रजिस्ट्री के आधार पर कॉलम में प्रविष्टि की थी। इस सुझाव को गलत बताया कि खातेदार द्वारा विक्रय करने के आधार पर कॉलम संख्या 09 में अल्का का नाम दर्ज किया हो। स्वयं कहा जमीन को पहले ही अन्य को विक्रय किया जा चुका था। प्रदर्श पी 12 के कॉलम संख्या 07 में अर्जुनलाल वगैरह का नाम अंकित होने के नाम से ही अल्का के पक्ष में विक्रय किए। प्रदर्श पी 12 के कॉलम संख्या 09 में अंकित अल्का का नाम पंचायत में नामांतरण कार्यवाही के समय आपत्ति प्रस्तुत होने व पहले की रजिस्ट्री पेश होने के आधार पर उसके द्वारा रिकॉर्ड में अल्का का नाम काटा गया। अल्का का नाम दर्ज करने के संबंध में कोई विवाद नहीं था। प्रदर्श पी 12 के कॉलम संख्या 07 की विरासत में इंद्राज उसके द्वारा ही किया गया था।

27. साक्ष्य अभियोजन में गवाह **हरिनारायण पी.डब्ल्यू 11** व **किशनसिंह पी.डब्ल्यू 14** द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान अभियुक्तगण को जरिये फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 15 से 17 के गिरफ्तार किए जाने के कथन किए गए।

28. साक्ष्य अभियोजन में गवाह **बाबूलाल पी.डब्ल्यू 12** द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान विवादग्रस्त जमीन के राजस्व रिकॉर्ड प्रदर्श पी 12 से 14 की प्रतिलिपि जारी किए जाने के कथन किए गए।

29. साक्ष्य अभियेाजन में प्रकरण के **अनुसंधान अधिकारी रविन्द्रसिंह पी.डब्ल्यू 13** द्वारा मुख्य परीक्षा में अनुसंधान के संबंध में सामान्य कथन किए गए है एवं प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि **प्रदर्श पी 11 नामांतरण काश्तकार वाले कॉलम में अर्जुनलाल व देउबाई का नाम अंकित है।** अर्जुनलाल व देउबाई द्वारा विक्रय करने के आधार पर काश्तकार के रूप में अल्का माली का नाम अंकन हैं। स्वयं कहा अल्का माली का नाम कटा हुआ था, उसके स्थान पर लोगर का नाम अंकित हैं। **प्रदर्श पी 11 में अल्का माली का नाम काटने के संबंध में उसके द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया गया।** उसके अनुसंधान से यह प्रकट नहीं हुआ कि अभियुक्तगण की विरासत का नामांतरण अल्का माली द्वारा ही दर्ज करवाया गया हो। उसके अनुसंधान में यह प्रकट नहीं हुआ कि अल्का व पदमसिंह जमीन क्रय, विक्रय और दलाली का कार्य करते हो। उसके अनुसंधान में यह नहीं आया कि जमीन पदमसिंह ने क्रय की और अल्का माली के नाम करवाई हो और पदमसिंह के कहने पर ही विक्रय पत्र निष्पादित किया हों। प्रदर्श पी 03 के दस्तावेज के गवाहान् के हस्ताक्षर का पृष्ठ संलग्न नहीं हैं।

30. साक्ष्य अभियोजन में गवाह **हरिराम पी.डब्ल्यू 15** द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान मुख्य परीक्षा में 23 वर्ष पूर्व आराजी संख्या 1102/146 की भूमि भैरूलाल व मांगीलाल द्वारा लोगर व भैरू खटीक को विक्रय किए जाने एवं लोगर की मृत्यु हो जाने से पटवारी द्वारा नामांतरण नहीं खोले जाने के कथन किए गए। प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि प्रदर्श पी 07 पर साख लेने के लिए वह स्वयं गया था। **रजिस्ट्री के द्वारा उनका नामांतरण नहीं हुआ, वह पदमसिंह को जानता है, उसने ही धोखाधड़ी की और दूसरे के नाम जमीन करवाई। उदयलाल, अर्जुनलाल और देउबाई के नाम पर जमीन पदमसिंह ने ही नामांतरण करवाई।** पटवारी व पदमसिंह दोनों मिले हुए थे। पटवारी ने पैसे खा लिए थे। पदमसिंह के कहे अनुसार मुलजिमान के नाम

पर नामांतरण खोल दिए। **मुलजिमानों को यह जानकारी नहीं थी कि उनके पूर्वाधिकारियों ने जमीन बेच दी हो।** लोगर के मरने के बाद पदमसिंह ने खाता खुलवाया और उसने ही मुलजिमान पर दबाव डालकर रजिस्ट्री करवाई। **उसके सामने मुलजिमान का पैसों से कोई लेनदेन नहीं हुआ।**

31. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन किया जाए तो प्रकरण में न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान् परिवादीया श्रीमती अल्का पी.ड.01 द्वारा परिवाद प्रदर्श पी 02 में वर्णित समस्त संव्यवहार पदमसिंह द्वारा किये जाने एवं प्रदर्श पी 03 विक्रय पत्र भी पदमसिंह द्वारा उसके नाम से निष्पादित करना बताया गया। परिवादीया द्वारा प्रतिफल राशि का भुगतान अभियुक्तगण को नहीं किया गया बल्कि पदमसिंह द्वारा किया गया। परिवादीया के पति ओमप्रकाश पी.ड.02 भी पदमसिंह और स्वयं द्वारा साथ–साथ व्यवसाय करने एवं प्रकरण के संव्यवहार में रुपये पदमसिंह द्वारा किए जाने के कथन किए गए हैं। इस प्रकार परिवादीया द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया एवं अभियोजन की ओर से पदमसिंह ना तो परीक्षित हुआ ना ही पदमसिंह प्रकरण में अभियुक्त हैं। जबकि प्रदर्श पी 03 विक्रय पत्र में वर्णित उक्त संव्यवहार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति पदमसिंह ही था। परिवाद प्रदर्श पी 02 के अनुसार अभियुक्तगण के पूर्वाधिकारी भैरूलाल व मांगीलाल द्वारा उक्त जमीन को लोगर व भैरूलाल पिता देवाजी खटीक को विक्रय की जा चुकी थी। इस संबंध में लोगर के पुत्र भवानीलाल पी.ड.03 द्वारा न्यायालीय साक्ष्य के दौरान प्रकरण के रजिस्ट्री के संबंध में कोई जानकारी होने से इनकार किया एवं उसने भी बताया कि उनके साथ किसी ने कोई धोखा नहीं किया तथा भैरूलाल पिता देवा खटीक पी.ड. 04 द्वारा न्यायालीय साक्ष्य के दौरान लोगर के साथ जमीन खरीदना एवं मांगीलाल व भैरूलाल के नाम खाते पर पदमसिंह द्वारा उसके वारिसानों के नाम लिखवाए जाने का कथन किया। उक्त दोनों गवाहों ने उनके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी किए जाने से इनकार किया।

32. पत्रावली पर उपलब्ध अन्य गवाहान की साक्ष्य से भी यह प्रकट होता है कि अभियुक्तगण का विवादग्रस्त आराजी संख्या 1101/146 व 1102/146 में उनके पूर्वाधिकारियों के स्थान पर नामांतरण अभियुक्तगण द्वारा नहीं करवाया गया बल्कि पदमसिंह द्वारा करवाया गया। हस्तगत प्रकरण में पदमसिंह की संलिप्तता के संबंध में किसी प्रकार का कोई अनुसंधान नहीं

किया गया एवं अनुसंधान अधिकारी द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान अभियुक्तगण का जायदाद का नामांतरण पदमसिंह द्वारा खुलवाए जाने की तथ्य से जानकारी होने से इन्कार किया गया। जबकि परिवादीया व अन्य गवाहान् द्वारा समस्त कार्य पदमसिंह द्वारा किया जाना बताया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित हरीराम पी.ड.15 द्वारा भी सारा संव्यवहार पदमसिंह द्वारा किया जाना स्वीकार किया गया।

33. पत्रावली पर इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं हैं कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादीया के साथ छल कारित के आशय से विवादग्रस्त आराजी की भूमि उनके पूर्वाधिकारियों द्वारा विक्रय किए जाने की जानकारी होने के बाद भी स्वयं का राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण दर्ज करवाकर भूमि परिवादीया को विक्रय की गई हो, बल्कि प्रकरण में समस्त संव्यवहार पदमसिंह द्वारा किया गया था। प्रकरण में परिवादीया की साक्ष्य के अनुसार रुपयों का लेनदेन भी पदमसिंह द्वारा किया गया। ऐसी स्थिति में यह भी नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादीया से रुपये प्राप्त कर उसका आपराधिक दु. र्विनियोग किया गया हो।

34. अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अभियोजन का मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता। जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में **अभियुक्तगण उदयलाल, अर्जुनलाल व श्रीमती देउ. बाई** को अपराध अन्तर्गत **धारा 420 व धारा 120 बी** भारतीय दण्ड संहिता में संदेह के आधार पर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता हैं।

## ।। आदेश ।।

35. अतः अभियुक्तगण संख्या **01. उदयलाल** पिता तुलसीराम, उम्र 64 वर्ष, निवासी लालमादड़ी, थाना खमनौर जिला राजसमन्द, अभियुक्त संख्या **02. अर्जुनलाल** पिता उदयलाल, उम्र 35 वर्ष, निवासी लालमादड़ी, थाना खमनौर जिला राजसमन्द व **03. श्रीमती देउबाई** पत्नी तुलसीराम, उम्र 91 वर्ष, निवासी निवासी लालमादड़ी, थाना खमनौर जिला राजसमन्द को अपराध अंतर्गत धारा 420, 406 व 120–बी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में संदेह के आधार पर दोषमुक्त घोषित किया जाता हैं।

35.1 अभियुक्तगण के नियमित उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके नि. रस्त किये जाते हैं।

35.2 अपील होने की सूरत में धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, के तहत अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति हेतु 15,000/– रूपये का मुचलका व इतनी ही राशि की जमानत के दस्तावेज अभियुक्तगण द्वारा दिनाँक 30.03.2026 को पेश कर तस्दीक कराये जा चुके हैं।

35.3 निर्णय की एक प्रति अविलंब ई–कोर्ट वेबसाईट पर अपलोड की जावे।

**(सुनिल कच्छावाह)**
अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नाथद्वारा, राजसमन्द।

36. निर्णय व आदेश आज दिनाँक 22.04.2026 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

**(सुनिल कच्छावाह)**
अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नाथद्वारा, राजसमन्द।